

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 285, दिनांक 08-11-2020

पशुधन घोटाले में वांछित एवं नमक खरीद घोटाले का मास्टर माईण्ड अन्तर्राज्यीय ठग व वांछित/शातिर व रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी एसटीएफ (उ0प्र0) द्वारा गिरफ्तार

दिनांक 07-11-2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पशुधन घोटाले में वांछित एवं नमक खरीद घोटाले का मास्टर माईण्ड व लखनऊ जेल में निरुद्ध आशीष राय का करीबी सहयोगी अन्तर्राज्यीय ठग व वांछित/शातिर व रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का नाम:-

सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी- म0न0-96, ऑफिसर्स कैम्पस, विस्तार सिरसी रोड, खातीपुरा, थाना- वैशालीनगर, जयपुरराजस्थान)

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी:

- 1- रू0 18500/- नगद
- 2- पासपोर्ट
- 3- एक ट्राली बैग लालरंग, जिसमें इस्तेमाली कपड़े, एक जोड़ी जूते व चश्मा रखा है।
- 4- एक अदद आधार कार्ड
- 5- हरे मोती की माला जिसपर पीली धातू पर हरा नग लगा है।
- 6- एक अंगूठी पीली धातू जिसपर सफेद नग लगा है।
- 7- एक सफेद धातू पर सफेद नग लगी अंगूठी।
- 8- तीन अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान-

दिनांक 07-11-2020 को जयपुर एअरपोर्ट, जयपुर से रात्री 22:30 बजे।

पशुधन विभाग में टेण्डर के माध्यम से धोखाधड़ी कर 9 करोड़ 72 लाख की ठगी करने के सम्बन्ध में थाना हजतगंज जनपद लखनऊ मु0अ0असं0-160/2020 धारा-406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 पंजीकृत अभियोग में एस0टी0एफ0 द्वारा 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा इस मुकदमें में मुख्य अभियुक्त आशीष राय का सहयोगी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर निवासी- म0न0-96, ऑफिसर्स कैम्पस, विस्तार सिरसी रोड, खातीपुरा, थाना- वैशालीनगर, जयपुर (राजस्थान) था तथा यह नमक खरीद घोटाले में थाना हजरतगंज, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0असं0-215/2020 धारा-419/471/120बी/506/420/467/468 भा0दवि0 एवं 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम में मास्टर माईण्ड था। अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी पर रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था एवं इसके विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

इस अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी जयपुर में रह रहा है तथा वह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आज ही दुबई जाने की फिराक में है।

इस सूचना पर एस0टी0एफ0 के उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी अंकित गुप्ता, आरक्षी प्रशान्त चौहान, आ0कमा0 चन्द्रपाल सिंह की एक टीम गठित कर तत्काल जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना की गयी तथा एअरपोर्ट पहुँच कर एयरपोर्ट सिक्योरिटी/अथोरिटी से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी को हिरासत में लेकर कर उसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी ने बताया कि उसने अपनी साथी आशीष राय के साथ मिलकर पशुधन विभाग में एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लखनऊ में नमक खरीद में ठगी का कार्य किया है, जिसके सम्बन्ध में उसके व उसके साथियों के विरुद्ध थाना हजरतगंज, लखनऊ में मु0अ0असं0-160/2020 धारा-406, 419, 420, 467,468, 471, 120 बी भा0दवि0 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 व मु0अ0सं0-215/2020 धारा-419/471/120बी/506/420/467/468 भा0दवि0 एवं 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इसके ऊपर रू0 50,000/- का पुरस्कार भी घोषित हो गया था तथा इसके विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। गिरफ्तारी के डर से यह फरार चल रहा था तथा लुकछिप कर रह रहा था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आज जयपुर से दुबई जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

आगे की पूछताछ पर बताया कि वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पुदुच्चेरी के दिवंगत उपराज्यपाल गोविंद सिंह गुर्जर का दत्तक पुत्र है। इसके पिता रामनारायण गुर्जर भी नसीराबाद, अजमेर के विधायक रह चुके हैं। इसके द्वारा "सबल भारत संस्थान" नाम का एक एन0जी0ओ0 भी बनाया था, जिसका कार्यालय वैशालीनगर जयपुर था, अपने एन0जी0ओ0 के माध्यम से भी ठगी का कृत्य किया करता था। वर्ष 2012 में जयपुर राजस्थान में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2017 में अपनी चचेरी बहन के पति सुरेंद्र सिंह से मर्सडीज गाड़ी बेचने खरीदने के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी की घटना कारित की, जिसके सम्बन्ध में थाना वैशाली नगर, जयपुर में उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पूछताछ में ठगी से अर्जित रुपयों से मरीना बीच दुबई में 8 करोड़ का प्लैट खरीदने की भी बात प्रकाश में आई है, जिसकी जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सुनील गुर्जर उर्फ मोंटी की अन्य आपराधिक गतिविधियाँ भी पूछताछ के माध्यम से प्रकाश में आयी:-

● राजस्थान के चर्चित भांवरी देवी अपहरण व हत्याकांड में सीडी प्रकरण में भी सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर का नाम चर्चा में आया था।

● वर्ष 2019 में सुनील उर्फ मोंटी गुर्जर ने गुजरात के व्यापारी नीलम भाई पटेल व संदीप भाई पटेल को उ0प्र0 में नमक का टेंडर दिलाने के नाम पर कुख्यात ठग आशीष राय के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी की घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त को उपरोक्त मुकदामों में दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।